न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
द्वितीय सहारनपुर।

CNR UPSP040271872026

मु0अ0सं0 126/2026
अन्तर्गत धारा 305(ए) व 317(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

आदेश

04—05—2026

मुकदमा अपराध संख्या 126/2026 अन्तर्गत धारा 305(ए) व 317(2) बी0एन0एस0 थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर के अपराध के सम्बन्ध में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त **अनुज पुत्र स्व0 राजेन्द्र** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, उसे दौरान वाद जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना इस आधार पर की गई कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फॅसाया गया है।

अभियोजन पक्ष की आख्यानुसार अपराध अजमानतीय प्रकृति के है, जमानत पर विरोध किया गया है।

सुना तथा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त दिनांक 22.04.2026 से जिला कारागार सहारनपुर में निरूद्ध है। प्रश्नगत प्रकरण में आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। सहअभियुक्त की जमानत हो चुकी है। अतः गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त को **30,000/रुपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के **दो जमानती दाखिल** करने पर दौरान वाद जमानत पर **अवमुक्त किया जाता है।**

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय
सहारनपुर।
जे0ओ0 कोड UP 3266